

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 112/2022

दायर दिनांक: 20.07.2022

उनवान

1. महावीर प्रसाद आत्मज श्री मदन मोहन जी जाति महाजन
2. श्रीमती बसन्ती बाई विधवा पत्नी श्री मदन मोहन जी जाति महाजन निवासीगण 1577 बसन्त बिहार कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र कुमार आत्मज श्री विष्णु प्रसाद जी जाति महाजन निवासी बी-43 शिवाजी कॉलोनी बारां जिला बारां।
2. रमेश कुमार आत्मज श्री विष्णु प्रसाद जी जाति महाजन निवासी शिव कॉलानी बारां तहसील बारां।
3. अशुंल माहेश्वरी आत्मज श्री गिरीश कुमार जाति महाजन निवासी तलवण्डी सब्जीमण्डी के सामने कोटा।
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी।

प्रतिवादी :- प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 स्वयं

पेरोकार सरकार प्रतिवादी क्रम 4

निर्णय

दिनांक 30/01/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 148 ख०नं० 246 किता 1 रकबा 2.59 है० भूमि का निर्णय दिनांक 12.12.2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार

कर चाहा गया, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/ राजस्व/2023/166 दिनांक 23.01.2023 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिससे अभिभाषकगण सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2022 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल रामपुरिया प0म0 कुन्जेड तहसील अटरू के ख0नं0 246 किता 1 रकबा 2.59 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 3 के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार पेश किया है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:—

- I. बसन्तीबाई पत्नी स्व0 मदनमोहन हिस्सा 1/2, महावीर प्रसाद पुत्र मदनमोहन हिस्सा 1/2 खातेदार के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:—

नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
रामपुरिया	148	246	1.73 है0	बारानी-1	15.57	उत्तर
		कुल किता 1	1.73 है0	—	15.57	

- II. खातेदार विष्णुप्रसाद पुत्र रामचरण की मृत्यु हो जाने से उनके वारीसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 महेन्द्र कुमार, रमेश कुमार व अंशुल माहेश्वरी के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:—

नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
रामपुरिया	148	246	0.86 है0	बारानी-1	7.74	दक्षिण
		कुल किता 1	0.86 है0	—	7.74	

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्बदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 112/2022

दायर दिनांक: 20.07.2022

उनवान

1. महावीर प्रसाद आत्मज श्री मदन मोहन जी जाति महाजन
2. श्रीमती बसन्ती बाई विधवा पत्नी श्री मदन मोहन जी जाति महाजन निवासीगण 1577 बसन्त बिहार कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र कुमार आत्मज श्री विष्णु प्रसाद जी जाति महाजन निवासी बी-43 शिवाजी कॉलोनी बारां जिला बारां।
2. रमेश कुमार आत्मज श्री विष्णु प्रसाद जी जाति महाजन निवासी शिव कॉलानी बारां तहसील बारां।
3. अशुंल माहेश्वरी आत्मज श्री गिरीश कुमार जाति महाजन निवासी तलवण्डी सब्जीमण्डी के सामने कोटा।
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर. टी. एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी।

प्रतिवादी :- प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 स्वयं

पेरोकार सरकार प्रतिवादी क्रम 4

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल रामपुरिया प0म0 कुन्जेड तहसील अटरू के ख0नं0 246 किता 1 रकबा 2.59 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 3 के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार पेश किया है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. बसन्तीबाई पत्नी स्व0 मदनमोहन हिस्सा 1/2, महावीर प्रसाद पुत्र मदनमोहन हिस्सा 1/2 खातेदार के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
रामपुरिया	148	246	1.73 है0	बारानी-1	15.57	उत्तर
		कुल किता 1	1.73 है0	-	15.57	

- II. खातेदार विष्णुप्रसाद पुत्र रामचरण की मृत्यु हो जाने से उनके वारीसान प्रतिवादी कम 1 ता 3 महेन्द्र कुमार, रमेश कुमार व अंशुल माहेश्वरी के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
रामपुरिया	148	246	0.86 है0	बारानी-1	7.74	दक्षिण
		कुल किता 1	0.86 है0	-	7.74	

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.01.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)